




सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का  
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष**

**झारखण्ड सरकार**

# विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix

अध्याय 1 : राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े	1.1.3	5
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	15
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	16
त्यक्त राजस्व	1.3.5	17
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
ऋण एवं अग्रिम से वसूली	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	19
भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	19
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	19
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	20
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	20
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	21
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	22
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	26
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण	1.6.5	27
व्यय की गुणवत्ता	1.7	30
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	30
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	31
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	35
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	35
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	35

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निवेश एवं लाभांश	1.8.3	36
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	37
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	38
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	38
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	38
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	39
राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति	1.9.3	41
संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन	1.9.4	42
प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	42
ऋण प्रबंधन	1.10	42
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	42
ऋण धारणीयता	1.10.2	43
राजकोषीय असंतुलन	1.11	44
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	45
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप	1.11.2	46
घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता	1.11.3	47
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	48
<b>अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
परिचय	2.1	51
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	51
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	52
वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन	2.4	53
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	53
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	54
सतत बचत	2.4.3	54
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.4	58
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.5	58
वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.6	59
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.7	60
अनुदानों में सतत आधिक्य	2.4.8	61
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.9	62
निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण	2.4.10	62
व्यय की तीव्रता	2.5	62
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	63

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अनुदान संख्या 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	63
परिचय	2.7.1	63
विभाग की विगत तीन वर्षों की बजटीय स्थिति	2.7.2	64
संगठनात्मक ढाँचा	2.7.3	64
बजट आकलनों को विलम्ब से जमा किया जाना	2.7.4	64
अवास्तविक बजट अनुमान	2.7.5	65
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.6	66
बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय	2.7.7	66
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण	2.7.8	66
व्यय का वेग	2.7.9	66
सामग्री के रूप में धन का अवरुद्धिकरण	2.7.10	67
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.7.11	67
आइ.एम.आइ.एस. और मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति	2.7.12	68
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं का क्रियान्वयन	2.7.13	69
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.8	69
<b>अध्याय 3 : वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	71
परिचय	3.1.1	71
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1.2	72
उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण में विलम्ब	3.1.3	73
अनुदान विमुक्ति में विलम्ब	3.1.4	74
अनुदान का अनुपयोग एवं अवरुद्धिकरण	3.1.5	74
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा	3.2	75
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	75
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.2.2	75
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.3	76
परिचय	3.3.1	76
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब	3.3.2	78
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से निधियों की आहरण की पुनरावृत्ति	3.3.3	79
दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	79
राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण	3.5	80
निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना	3.6	80
लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि	3.7	81

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.8	82
राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा	3.9	82
प्रस्तावना	3.9.1	82
वित्तीय प्रबंधन	3.9.2	83
निधि प्रदान करने की प्रक्रिया	3.9.2.1	83
एस.डी.आर.एफ. में अंशदान विलम्ब से/नहीं जमा होना	3.9.2.2	84
निधि की उपयोगिता एवं निवेश	3.9.2.3	84
निधि का अवरुद्धिकरण	3.9.2.4	85
एस.डी.आर.एफ. का विचलन/अनाधिकृत व्यय	3.9.2.5	86
एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से कार्यावयन	3.9.3	87
प्रभावित व्यक्तियों को विलंब से/सहायता प्रदान नहीं करना	3.9.3.1	87
एस.डी.आर.एफ. से अमान्य कार्यों का कार्यावयन	3.9.3.2	88
उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत नहीं किया जाना	3.9.4	88
सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जाना	3.9.5	89
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.10	89

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-ए	झारखण्ड की रूपरेखा	93
परिशिष्ट 1.1 भाग-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	94
परिशिष्ट 1.1 भाग-सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	94
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	95
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़ें	96
परिशिष्ट 1.4 भाग-ए	वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	99
परिशिष्ट 1.4 भाग-बी	31 मार्च 2015 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	102
परिशिष्ट 1.5 भाग-क	74 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	104
परिशिष्ट 1.5 भाग-ख	74 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण	105
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ से आधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक विभिन्न अनुदानों/विनियोग की विवरणी	106
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2014-15 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	108
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ से अधिक की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी	112
परिशिष्ट 2.4	31 मार्च 2015 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले	114
परिशिष्ट 2.5	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	115
परिशिष्ट 2.6	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	117
परिशिष्ट 2.7	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	118
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये अत्यधिक अभ्यर्पण के समीक्षा के परिणाम	120
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	124
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान असंशोधित रह गई (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)	125
परिशिष्ट 2.11	बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय	126
परिशिष्ट 2.12	अंतिम दिन अभ्यर्पण (राज्य स्तर)	126
परिशिष्ट 2.13	वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण	127
परिशिष्ट 2.14	शत-प्रतिशत बचत	128
परिशिष्ट 2.15	व्यय का वेग (राज्य स्तर)	128
परिशिष्ट 2.16	व्यय का वेग (नमूना जाँचित प्रमण्डल/जिलों)	129
परिशिष्ट 2.17	सामग्री के रूप में निधि का अवरुद्धीकरण	130

विषय सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.18	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	132
परिशिष्ट 2.19	आई.एम.आई.एस. तथा मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति	132
परिशिष्ट 2.20 (अ)	बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की भौतिक प्रगति	133
परिशिष्ट 2.20 (ब)	बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की वित्तीय प्रगति	134
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2015 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	135
परिशिष्ट 3.2	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्षेत्र इकाई)	136
परिशिष्ट 3.3	अनुदानों के विमुक्ति में विलम्ब	137
परिशिष्ट 3.4	अनुदानों का अवरुद्धिकरण	138
परिशिष्ट 3.5	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	139
परिशिष्ट 3.6	बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित शीर्ष 50 नियंत्रक अधिकारी	141
परिशिष्ट 3.7	31 मार्च 2015 को अनुदान-वार बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित नियंत्रक अधिकारी	143
परिशिष्ट 3.8	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब	146
परिशिष्ट 3.9	राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य	147
परिशिष्ट 3.10	लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (30 प्रतिशत एवं अधिक)	147
परिशिष्ट 3.11	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन	148
परिशिष्ट 3.12	विगत वर्षों के प्रावधानों से आधिक्य व्यय का विनियमन	149
परिशिष्ट 3.13	विलम्ब से सहायता	150
परिशिष्ट 3.14	गैर सहायता	153
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	154